



कार्यालय विशेष कार्याधिकारी

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

45/8 एवं 46/8, शास्त्री नगर, योजना सं० 7, मेरठ

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु मानचित्र स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री २१० आर० जोशी
181. राजपुर रोड योजना देहरादून
देहरादून



पत्रांक 824 वि०का०/आ०वि०प०मेरठ/727 (99-2000) दिनांक 15/3/2017

योजना का नाम राजपुर रोड योजना देहरादून नगर देहरादून

भवन/भूखण्ड सं० 181 आवेदन-पत्र दिनांक 14/3/2017

प्रस्ताव पंजीकरण सं० 727 (99-2000) दिनांक 14/3/2017 की भवन निर्माण हेतु मानचित्र की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाती है :-

- 1- परिषद द्वारा दिये गये कब्जे के अनुसार प्राप्त भूमि के अनुसार ही निर्माण करेंगे।
- 2- कम्पाउण्ड वाल के गेट अथवा भवन के मुख्य द्वार अथवा अन्य किसी दरवाजों के पल्ले को सड़क अथवा अन्य किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं करेंगे।
- 3- कम्पाउण्ड वाल परिषद के निर्धारित डिजाइन के अनुसार होगा।
- 4- भवन निर्माण लाल रंग से किये गये संशोधनों के अनुसार करेंगे।
- 5- यह स्वीकृति-पत्र निर्गत की तिथि से पाँच वर्ष तक वैध है।
- 6- यह मानचित्र केवल प्रस्तावित क्षेत्रफल 127=50 वर्ग मी० के लिये ही स्वीकृत है।
- 7- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, समय वृद्धि प्रमाण-पत्र अवश्य प्राप्त करना होगा।
- 8- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के कम से कम 14 दिन पूर्व कार्य प्रारम्भ करने की सूचना लिखित रूप में सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता को आवंटि द्वारा दी जायेगी अन्यथा अनिर्माण शुल्क में छूट मान्य न होगी।
- 9- भवन निर्माण पूर्ण करने की लिखित सूचना स्थानीय सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी/सहायक आवास आयुक्त तथा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को आवंटि द्वारा दी जायेगी अन्यथा अनिर्माण शुल्क में छूट मान्य न होगी।
- 10- भवन निर्माण के समय स्वीकृत मानचित्र की प्रति निर्माण स्थल पर प्रदर्शित करनी होगी जिसका परिषद स्टाफ समय-समय पर अवलोकन कर सकें।

सं०—उपरोक्तानुसार मानचित्र

15/3/2017
विशेष कार्याधिकारी

सं०— /उपरोक्त

दिनांक _____

- 1- प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड 516/718/9, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति सम्बन्धित अवर अभियन्ता को उपलब्ध करायें तथा सूचना प्राप्त होने पर निर्माण स्थल का निरीक्षण करने का कष्ट करें।

सं०—उपरोक्तानुसार मानचित्र दो प्रतियों में।

- 2- सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/पालिका, मेरठ/देहरादून/हमिदपुर/रुड़की/बडौत/सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि आवंटि से नियमानुसार मलवा/जल शुल्क लेने का कष्ट करें।

विशेष कार्याधिकारी

